INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 12 | ISSUE - 3 | APRIL - 2022

रीवा जिले के समेकित बाल विकास द्वारा संचालित योजनाएँ, सुविधाएँ एवं प्रभाव का अध्ययन

पंकज कुमार मिश्र
शोधार्थी, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश –

रीवा जिले में समेकित बाल विकास योजना का शुभारम्भ भारत सरकार के संचालन के 2 वर्षों के पश्चात् ही प्रारम्भ कर दिया गया था। समेकित बाल विकास योजना को संक्षेप में ICDS (Integrated Child Development Services) कहते हैं, जिसे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 1975 में सम्पूर्ण भारत में संचालित करने की दृष्टि से किया गया था। इस योजना को आरम्भ करने का उद्देश्य यह था कि स्कूल आने से 1–6 आयु वर्ग के बच्चे तथा उनके माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा स्वास्थ्य हेत पौष्टिक आहार के दर में वृद्धि करना रहा है। समेकित बाल विकास योजना का इसके अतिरिक्त यह भी प्रमुख उद्देश्य था कि शिशुओं एवं उनकी माताओं के गर्भावस्था के दौरान हो रही अत्यधिक मृत्यु की दर को न्यूनतम करना रहा है। इस दृष्टि से जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रा की स्थापना की गयी है जिसके माध्यम से जिले के 1–6 आयु वर्ग के बच्चों एवं गर्भावस्था के दौरान उनकी माताओं को स्वास्थ्य की दृष्टि से पौष्टिक आहार उपलब्ध कराये जा रहे है ताकि शिशुओं के कुपोषण की दर को कम किया जाय और साथ ही गर्भवती महिलाओं की असामयिक मृत्यु दर को कम किया जा सके।

मुख्य शब्द – रीवा जिला, समेकित बाल विकास योजना एवं भारत सरकार ।

प्रस्तावना –

समेकित बाल विकास योजना के तहत शिशुओं का पोषण एवं माताओं को स्वास्थ्य से सम्बन्धित शिक्षा देने हेतु उनकी अस्वस्थता को अच्छी तरह से पूरा करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करता है और शिशु और बाल विकास को बढ़ावा देता है। यह योजना शिशुओं के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्तर पर सभी प्रकार के सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सहयोग करता है। रीवा जिले में समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत निम्न सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं –

- समेकित बाल विकास योजना के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों में नियुक्त कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भवती महिलाओं, नवनिहालों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं और उनके स्वास्थ्य से सम्बन्धित शिक्षा, पोषक आहार इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।
- समेकित बाल विकास योजना के तहत जिले के सम्पूर्ण गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं के माध्यम से पोषाहार हेतु दूध, दवाई एवं विभिन्न तरह के खाने हेतु पौष्टिक आहार उपलब्ध कराये जा रहे।

- इस योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं का स्वास्थ्य से सम्बन्धित जांच की सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है और जांच के बाद आवश्यकतानुसार उनको निःशुल्क में दवाईयां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं।
- इस योजना को सफल बनाने की दृष्टि से आंगनबाड़ी केन्द्रों में आयु वर्ग 3–6 वर्ष के नवनिहालों को शालापूर्व शिक्षा उपलब्ध कराया जा रहा है अर्थात् शिशुओं को पहली कक्षा में प्रवेश से पूर्व संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में शिक्षण हेतु भेजा जाता है और नवनिहालों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में खेलने कूदने से लेकर खाने पीने की पत्येक सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है जिसके दौरान नवनिहालों को उठने, बैठने, कक्षा में बैठने इत्यादि सभी तौर तरीकों को प्राथमिक स्तर पर सिखाया जा रहा है।
- इस योजना के तहत रीवा जिले के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा शिशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए पोलियो, खसरा, गलघोटू, खांसी, टिटनेस, एवं तपेदिक से सम्बन्धित टीके लगाये जाते हैं, इसके साथ ही जिले के गर्भवती महिलाओं को टिटनेश से बचाने के लिए Toxoids के दो इंजेक्शन लगाये जाते हैं ताकि गर्भवती महिलाओं की असामायिक मृत्यु न हो सके।
- समेकित बाल विकास योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, माताओं, एवं शिशुओं को Biological Unit समझा गया है। इस योजना की मुख्य रूप से यही विशेषता है जिससे सभी सुविधाएं व सेवाएं माताओं, गर्भवती स्त्रियों एवं नवनिहालों तक सरलता से पहुंच जाये। यह एक ऐसी योजना जिसके द्वारा जिले के किसी भी बच्चे की गरीबी के कारण सही तरीके से लालन–पालन चिकित्सकीय व्यवस्था एवं शिक्षा सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता तो नवनिहाल कुपोषण का शिकार बन जाते हैं तथा इसके शिकार बच्चे आवश्यक नहीं है कि वे केवल गरीब व असहाय गृह के बच्चे न हो अपितु सम्पन्न घरों के बच्चे भी इसका शिकार बन जाते हैं। कुपोषित बच्चे होने का प्रमुख कारण गलत वातावरण, व्यवहार, गलत खान–पान इत्यादि अनेक चीजों से शिशु इसका शिकार हो जा रहे हैं। इन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने समेकित बाल विकास योजना पर विशेष बल दिया है। इस योजना के पीछे शासन का यह उद्देश्य है कि जिले के प्रति एक नवनिहाल चाहे जन्म से पूर्व हो या जन्म के पश्चात् प्रत्येक नवनिहाल को अच्छा स्वास्थ्य इलाज एवं शिक्षा मिलना चाहिये।

विश्लेषण –

रीवा जिले में समेकित बाल विकास योजना सम्पूर्ण 2817 ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। वैसे आज पूरे मध्यप्रदेश के सम्पूर्ण 313 विकासखण्डों में कुल 278 ग्रामीण विकास योजनायें तथा 102 आदिवासियों के लिए विकास से सम्बद्ध परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है, इनके साथ–साथ राज्य में कुल 73 शहरी बाल विकास योजनाओं के साथ प्रदेश में कुल 453 समेकित बाल विकास योजनायें क्रियान्वित हैं, जिनमें कुल 80160 आंगनबाड़ी केन्द्र व 12070 उप आंगनबाड़ी केन्द्र शासन स्तर पर स्थापित किये गये हैं। प्रदेश में इन आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा लगभग 97.68 लाख हितग्राहियों को समेकित बाल विकास योजना की सुविधाओं व सेवाओं से लाभान्वित किया गया है। समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित करने की दृष्टि से आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा संचालित सुविधाओं/सेवाओं का विवरण निम्नानुसार है अर्थात् समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत संचालित कुछ प्रमुख सुविधाओं का विवरण निम्नवत है –

(1) पूरक पोषण आहार – जिले के 6 वर्ष से कम नवनिहालों, गर्भवती स्त्रियों, स्तनपान कराने वाली माताओ एवं किशोरियों की पहचान करने के लिए समुदाय के सम्पूर्ण परिवारों का अवलोकन कर सर्वेक्षण किया जाता है और आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से वर्ष में कम से कम इन्हें 300 दिन पूरक पोषण आहार निःशुल्क प्रदान किया जाता है। आधुनिक समय में 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के शिशुओं को 4 रूपये प्रति शिशु प्रतिदिन के हिसाब से 12–15 ग्राम प्रोटीन व 500 कैलोरीयुक्त पोषण आहार उपलब्ध कराये जाने का शासन द्वारा प्रावधान किया गया है। जिले के गंभीर रूप से कुपोषित शिशुओं को 6 रूपये प्रति शिशु प्रतिदिन के हिसाब से 20–25 ग्राम प्रोटीन एवं 800 कैलोरी युक्त पोषण आहार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। जिले की गर्भवती स्त्रियों, दूध पिलाने वाली माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को 5 रूपये प्रति किशोरी बालिका प्रतिदिन के हिसाब

से 18–20 ग्राम प्रोटीन और 600 कैलोरी युक्त पोषण आहार दिये जाने का प्रावधान शासन स्तर पर किया गया है।

(2) सन्दर्भ सेवाएँ – जिले के नवनिहालों, गर्भवती स्त्रियों तथा किशोरियों के स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर अनिवार्य होने पर उन्हें खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा विकासखण्ड स्तर पर स्थापित जिला स्तरीय चिकित्सालयों में भेजकर स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

(3) स्वास्थ्य परीक्षण – जिले के सभी आंगनबाडी केन्द्रों में प्रत्येक माह में एक मंगलवार या शुक्रवार के दिन ए.एन.एम. एवं आशा कार्यकर्ता के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं क स्वास्थ्य की जांच की जाती है, और स्वास्थ्य जांच के आधार पर स्वास्थ्य में सुधार के लिए निःशुल्क दवाईयों का वितरण एवं अनिवार्य सलाह जच्चा–बच्चा व हितग्राहियों को प्रदान की जाती है, जिससे शिशुओं, गर्भवती स्त्रियों एवं किशोरियों की असामयिक मृत्यु दर को न्यूनतम किया जा सके।

(4) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा – जिले के सम्पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्ताओं एवं एन.एन.एम. के माध्यम से उनके कार्यक्षेत्र में गृह भेंट करने का शासन द्वारा प्रावधान किया गया है अर्थात् ए.एन.एम. एवं कार्यकर्ता गर्भवती स्त्रियों, शिशुओं एवं किशोरियों के घर जाकर स्वास्थ्य एवं संतुलित आहार से सम्बन्धित सलाह एवं जानकारी देने का शासन द्वारा व्यवस्था की जाती है।

(5) स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा – जिले के आंगनवाड़ी केन्द्रों का प्रमुख उद्देश्य शिशुओं का मानसिक विकास करना भी है ताकि 3–6 वर्ष के शिशु प्राथमिक स्कूल में और अधिक बेहतर तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सके। इस कार्य के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जिले के 3–6 वर्ष के बच्चों को खेल–खेल में शिक्षा की गतिविधियों से अवगत कराया जाता है, साथ ही बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों, जंगल, जानवर, जल एवं फल इत्यादि के बारे में प्रारम्भिक स्तर का ज्ञान कराया जाता है।

(6) टीकाकरण – समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत जिले के सम्पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रत्येक माह के किसी एक सप्ताह में मंगलवार या शुक्रवार का दिन टीकाकरण के लिए निर्धारित रहता है। इस दिवस में ए. एन.एम. द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शिशुओं एवं गर्भवती स्त्रियों का टीकाकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन केन्द्रों पर पोलियो खसरा इत्यादि के शिविर लगाकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

रीवा जिले में समेकित बाल विकास योजना द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं का अध्ययन करने के उपरान्त उनकी सुविधाओं का हितग्राहियों तक पहुंच एवं उनके प्रभावों का विश्लेषण के लिए निदर्शन प्रविधि की उपविधि सविचार विधि का प्रयोग करते हुए जिले की कुल 11 तहसीलों में से 10 तहसीलों हुजूर, मऊगंज, हनुमना, नइगढ़ी, जवा, रायपुर कर्चुलियान, गुढ़, सिरमौर, सेमरिया एवं मनगवां का चयन कर प्रत्येक तहसील से 30 हितग्राहियों का चयन कर साक्षात्कार किया गया है, जिनसे समेकित बाल विकास योजना की गतिविधियों के अनुकूल/सकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन किया गया है। इसके लिए शोधकर्ता ने जिले के कुल 300 हितग्राहियों से स्वयं सम्पर्क स्थापित कर समंकों का संग्रहण कर सारणी क्रमांक 1 में प्रयुक्त किया है, जो इस प्रकार है –

सारणी क्रमांक 1

समेकित बाल विकास योजना का हितग्राहियों पर प्रभाव का आकलन

प्रश्नों का स्वरूप/संकेतीकरण (A)	प्रश्नों की संख्या	हितग्राहियों से प्राप्त प्रत्युत्तर			
		हां	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
(1) आई.सी.डी.एस. का गर्भवती स्त्रियों व नवजात शिशुओं पर अच्छा प्रभाव से सम्बन्धित	300	228	51.35	72	46.15
(2) आई.सी.डी.एस. का निम्न वर्ग की गर्भवती स्त्रियों व स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव से सम्बन्धित	300	216	48.65	84	53.85
योग	600	444	100.00	156	100.00

स्रोत– प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित

उपर्युक्त सारणी क्रमांक 1 को देखने से सुस्पष्ट होता है कि यह समेकित बाल विकास योजना का हितग्राहियों पर पड़ने वाले प्रभाव से सम्बन्धित है। जिसमें प्रश्नों के स्वरूप में सबसे पहले आई.सी.डी.एस. का गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं पर अच्छा प्रभाव पड़ने से सम्बन्धित प्रश्न कुल 300 व्यक्तियों से शोधार्थी द्वारा किये गये, जिसमें सम्पूर्ण 300 व्यक्तियों में 228 व्यक्तियों ने बतलाया कि आई.सी.डी.एस. का गर्भवती महिलाओं व नवजात बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है, जिनके प्रतिशत 51.35 है और 72 लोगों ने बतलाया कि अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा जिनके प्रतिशत 46.15 है। इसी प्रकार प्रश्नों के स्वरूप में रीवा जिले के कुल 300 व्यक्तियों से आई.सी.डी.एस. का निम्न वर्ग की गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली स्त्रियों पर सकारात्मक प्रभाव से सम्बन्धित प्रश्न शोधार्थी के माध्यम से किया गया जिनमें कल 300 लोगों में से 216 व्यक्तियों ने बताया कि आई.सी.डी.एस. का निम्न वर्ग की गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली स्त्रियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिनकी प्रतिशत 46.65 है और 84 व्यक्तियों ने बताया है कि सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, जिनके 53.45 है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में समेकित बाल विकास योजनाओं का हितग्राहियों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है।

निष्कर्ष –

यह समेकित बाल विकास योजना का हितग्राहियों पर पड़ने वाले प्रभाव से सम्बन्धित है। जिसमें प्रश्नों के स्वरूप में सबसे पहले आई.सी.डी.एस. का गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं पर अच्छा प्रभाव पड़ने से सम्बन्धित प्रश्न कुल 300 व्यक्तियों से शोधार्थी द्वारा किये गये, जिसमें सम्पूर्ण 300 व्यक्तियों में 228 व्यक्तियों ने बतलाया कि आई.सी.डी.एस. का गर्भवती महिलाओं व नवजात बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है, जिनके प्रतिशत 51.35 है और 72 लोगों ने बतलाया कि अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा जिनके प्रतिशत 46.15 है। इसी प्रकार प्रश्नों क स्वरूप में रीवा जिले के कुल 300 व्यक्तियों से आई.सी.डी.एस. का निम्न वर्ग की गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली स्त्रियों पर सकारात्मक प्रभाव से सम्बन्धित प्रश्न शोधार्थी के माध्यम से किया गया जिनमें कुल 300 लोगों में से 216 व्यक्तियों ने बताया कि आई.सी.डी.एस. का निम्न वर्ग की गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली स्त्रियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिनकी प्रतिशत 46.65 है और 84 व्यक्तियों ने बताया है कि सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, जिनके 53.45 है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में समेकित बाल विकास योजनाओं का हितग्राहियों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है।

संदर्भ –

1.	लाल, प्रो.एस.एन. एवं लाल, डॉ. एस.के.	भारतीय अर्थवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण	2018	शिवम पब्लिशर्स
2.	रस्तोगी, ए.	बाल कुपोषण मुक्त बिहार	2014	बिहार सरकार, बिहार
3.	मककोबी, ई.ई. और मार्टि, जे.ए.	परिवार के संदर्भ में समाजीकरण	1983	विले इंटर विज्ञान प्रकाशन, न्यूयार्क
4.	कुमार, आर.	भारत में बाल विकास (स्वास्थ्य, कल्याण एवं प्रबन्ध)	1988	आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
5.	देसाई, ए.एन.	परिवार और बाल कल्याण योजना (पालन और रिश्ता)	1990	आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
6.	कुमार, ए.	मानव संसाधन नीतियां और दृष्टिकोण में बाल	2002	समरूप एवं संश प्रकाशन, नई दिल्ली
7.	शर्मा, एस.	बाल विकास	2007	विरन्टा इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली
8.	सिंह, राकेश कुमार	आंगनबाड़ी कार्यक्रम :	2014	सर्वोदय इंक्लेव, नई दिल्ली

		एक प्रवेशिका		
9.	छेत्री, नेहा	आंगनबाड़ी के लिए पहल एक प्रवेशिका	2007	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दिल्ली
10.	शर्मा, डा. ललिता	मातृ एवं शिशु पोषण	2016	स्टार पब्लिकेशन्स, आगरा
11.	शर्मा, तिलकराज	कुपोषण और स्वास्थ्य	2015	राज पब्लिकेशन्स, दिल्ली